महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) एक अध्ययन

मारिया सैनी, शोधार्थी, जे. जे. टी. विश्वविद्यालय
डॉ. शिवकुमार, सहायक आचार्य, जे. जे. टी. विश्वविद्यालय

सार– ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2006 में गारंटीकृत काम और मजदूरी प्रदान करने के लिए पहला अधिनियम बनाया था। मनरेगा गरीबी से नीचे रहने वाले ग्रामीणो को सहायता करने के लिए कई कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। इस कार्यक्रम के फायदे और नुकसान दोनों हैं इसलिए यह अध्ययन उपरोक्त प्रणाली के बारे में लोगों की अलग–अलग राय की जांच करता है। इसके अलावा इस अध्ययन का उद्देश्य शोधकर्ताओं की आसान पहुंच और संदर्भ के रूप में उपयोग के लिए मनरेगा कार्यक्रम का सारांश प्रस्तुत करना है जो नीति निर्माता को मनरेगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

कीवर्ड– मनरेगा, विकास, रोजगार, महात्मा गांधी, ग्रामीण विकास

परिचय– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय संपत्तियों के विकास में सामुदायिक भागीदारी स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी को सार्वभौमिक बनाया गया। इस सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून प्रावधान का लक्ष्य काम करने के अधिकार की रक्षा करना है। स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्कों वाले प्रत्येक घर को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रशासन इस कानून को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य पहल मानता है। इस कार्यक्रम को दुनिया का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2014 में इसे ग्रामीण विकास का एक शानदार उदाहरण बताया। 43वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में मनरेगा जैसे कार्यक्रम को व्यापक दृष्टिकोण से पूरे देश में लागू किया जाने की मांग की है। स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास में निश्चित रूप से मनरेगा रुचि का एक बिंदु है जो ग्रामीण गरीबों की बेरोजगारी और मौद्रिक कठिनाई को दूर करने के लिए एक विशिष्ट अंतिम लक्ष्य के साथ सबसे बुनियादी प्रकार के काम के लिए एक व्यापक प्ररिवर्तन का आदर्श प्रस्तुत करता है। यह अधिनियम राज्य के प्रति एक प्रतिबद्धता के साथ जवाबदेही बनाकर ग्रामीण गरीबों को वस्तु विनिमय की ऊर्जा देता है।

प्रारम्भ में इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) था लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस अधिनियम को फरवरी 2006 से पहले चरण में 200 जिलों में लागू और अधिसूचित किया गया वित्तीय

वर्ष 2007–2008 में अतिरिक्त 130 जिलों तक विस्तारित किया गया। मनरेगा की नींव गरीबी को कम करना और भुखमरी उन्मूलन में उपयोगी है। वर्तमान में मनरेगा भारत का सबसे बड़ा वित्त पोषित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम है जो 52 मिलियन लोगों को रोजगार देता है।

पृष्ठभूमि– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा कार्यक्रम शुरू में 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मूल रूप से इसे 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में लागू किया था। इसको लागू करने और पूरे देश को कवर करने में पांच साल लग गए। इस अधिनियम के कारण ग्रामीण भारतीय आबादी को अधिकार–आधारित रोजगार तक पहुंच प्राप्त हुई है। इसमें 31 दिसंबर 2009 को संशोधन किया गया और नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना में नामांकित लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल सके।

अध्ययन का उद्देश्य – मनरेगा में कहा गया है कि ग्रामीण समुदाय को साल में कम से कम 100 दिनों का सवैतनिक रोजगार सरकार द्वारा दिया जाये। अध्ययन का उद्देश्य मूल, अभूतपूर्व प्रावधानों एवं उभरते मुद्दों की जांच करने का प्रयास करना और उसके संभावित समाधान प्रस्तुत करना है।

साहित्य समीक्षा

गर्ग(2008) ने मनरेगा योजना में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों पर अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि मनरेगा योजना में कार्य से उन्हें पारिवारिक समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ा किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति में सार्थक बदलाव हुआ।

कुमार विजय एस(2011) ने अपने अध्ययन ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना की समीक्षा'' में बताया की मनरेगा योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। मनरेगा कार्यक्रम से अकुशल कारीगरों को कुशल बनाया जा सकता है तथा 100 दिनों तक रोजगार देकर ग्रामीण विकास में योगदान बढ़ाया जा सकता है।

प्रसाद (2012) ने माना कि मनरेगा ने ग्रामीण लोगों को पर्याप्त क्रय शक्ति प्रदान की है और वे कम से कम अपनी बुनियादी आवश्यकता यानी भोजन का समर्थन करने में सक्षम हैं। इस अधिनियम ने ग्रामीण गरीबों को उनके क्षेत्रों तक सीमित किया है और शहरों की ओर पलायन रोक दिया है। यह न केवल ग्रामीण आजीविका दे रहा है बल्कि उन्हें अन्य गैर–कृषि कार्यों में भी शामिल कर रहा है। अन्य गैर–कृषि कार्यों में रोजगार से ग्रामीण बुनियादी ढांचे यानी ग्रामीण संपत्ति निर्माण में भी सुधार होगा। अंततः सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।

जेवियर (2014) ने पाया कि मनरेगा योजना कमजोर गरीबों, खासकर महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करती है। इसमें अतिरिक्त रूप से पाया गया है कि खराब कार्य स्थल संसाधन, गर्म जलवायु

की स्थिति और खाली समय में कमी के कारण उन्हें मनरेगा के कार्य घंटों के दौरान बहुत कठिनाई होती है।

कुमार (2014) ने पाया कि मनरेगा कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रमुख वेतन रोजगार पहलों में से एक है जो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम सौ दिनों का रोजगार प्रदान करती है। पंचायत राज संस्था ने कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी रोजगार पैदा करने में मदद करता है।

बालासुब्रमण्यम आर एवं बालासुब्रमण्यम वी(2015) ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करके और मजदूरी में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार किया है।

मुकेश कुमार (2018) का अध्ययन मनरेगा का मूल्यांकन करता है इसकी उपलब्धियों और सीमाओं की जांच करता है। इनका मानना है कि मनरेगा ग्रामीण आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालता है लेकिन इसके कार्यान्वयन में अपर्याप्त धन और उचित निगरानी की कमी जैसी सीमाएँ हैं।

प्रियंका एवं ममता (2019) का अध्ययन भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मनरेगा के प्रभाव की जांच करता है। लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा ने ग्रामीण आय में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में सुधार और गरीबी को कम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालाँकि इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए।

शोध की कार्यप्रणाली– इस शोध के लिए द्वितीयक संमको को काम में लिया गया है। द्वितीयक संमक स्रोत इंटरनेट, वेबसाइट, समाचार पत्र और पत्रिका लेख, सोशल साइट, शोध पत्रिकाएँ हैं।

निष्कर्ष

- 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली द्वारा किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा का कृषि उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जो ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। अध्ययन में पाया गया कि जल संरक्षण और भूमि विकास से संबंधित मनरेगा कार्यों से कृषि उत्पादकता में क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- मनरेगा के तहत व्यक्तिगत संपत्तियों के माध्यम से आय और आजीविका संवर्धन–नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा 2011 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, मनरेगा का गरीबो आय और आजीविका सहित ग्रामीण परिवारों के कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन में पाया गया कि मनरेगा से ग्रामीण परिवारों की आय में औसतन 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गरीबी में काफी कमी आई है।

- मनरेगा ने ग्रामीण श्रमिकों के कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना निर्माण, कृषि और वानिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है जिनके लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। योजना के तहत लगे श्रमिकों को इन कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे न केवल उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है बल्कि उनकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती है। प्रशिक्षण विभिन्न माध्यमों जैसे नौकरी पर प्रशिक्षण, कक्षा प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- मनरेगा के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित भेदभाव को कम करने में मदद मिली है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष प्रावधानों के प्रावधान से उनको रोजगार के समान अवसर मिले हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के प्रावधान ने वेतन भेदभाव को कम करने में मदद की है और पारंपरिक रूप से पुरुष–प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के प्रावधान ने कार्यबल में उनकी भागीदारी में सुधार किया है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के अवसरों के प्रावधान ने स्थानीय शासन संरचनाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार किया है और उन्हें अपने समुदायों के विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया है।
- योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों की गुणवत्ता और स्थिरता के साथ–साथ कार्यान्वयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिसाव से संबंधित मुद्दे प्रमुख चिंता का विषय हैं। श्रमिकों को वेतन भुगतान में देरी भी की जाती हैं। इनको दूर करने के लिए सरकार विभिन्न उपायों को लागू कर रही है जैसे देरी को कम करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वेतन भुगतान प्रणाली का डिजिटलीकरण और श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना। कुल मिलाकर मनरेगा ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है लेकिन अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है।
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में भी मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना वनीकरण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसी गतिविधियों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है। वनीकरण गतिविधियों में निम्नीकृत भूमि पर वृक्षारोपण शामिल है, जो वन क्षेत्र को बढ़ाने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलती है बल्कि ग्रामीण समुदायों को आजीविका के अवसर भी मिलते हैं।
- मनरेगा ने कोविड–19 महामारी के दौरान ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण रोजगार और आय सहायता प्रदान की थी। सरकार ने फंडिंग बढ़ाई और नियमों में ढील दी जिसके परिणामस्वरूप अधिक परिवारों को रोजगार मिला। मनरेगा ने प्रवासी श्रमिकों की भी मदद की और ग्रामीण बुनियादी ढांचे

का निर्माण किया। योजना की प्रभावशीलता संकट के समय में कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में इसकी क्षमता को उजागर करती है।

- मनरेगा ने छोटे व्यवसायों और उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने में भी मदद की है। यह योजना छोटी दुकानों, सिलाई इकाइयों और हस्तशिल्प इकाइयों जैसे सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। इससे ग्रामीण श्रमिकों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद मिली है और उन्हें आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया गया है।
- मनरेगा ने जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाई है। यह योजना वन्यजीव संरक्षण जैसी गतिविधियों में रोजगार के अवसर प्रदान करती है जो लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा और उनके आवासों को संरक्षित करने में मदद करती है। इससे इको–पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिली है और ग्रामीण समुदायों को आय का एक स्रोत प्रदान किया गया है।
- मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना ग्रामीण श्रमिकों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है। इससे ग्रामीण परिवारों को आय का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने में मदद मिली है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। यह योजना श्रमिकों को वेतन की गारंटी भी प्रदान करती है जिससे वेतन भेदभाव और शोषण की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है।
- मनरेगा ग्रामीण श्रमिकों को कई सामाजिक सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। यह योजना श्रमिकों को बीमा कवरेज प्रदान करती है जिसमें चिकित्सा और दुर्घटना बीमा शामिल है। इससे ग्रामीण श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद मिली है। मनरेगा के तहत सामाजिक सुरक्षा उपायों ने गरीबी को कम करने और ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद की है। बीमा कवरेज ने ग्रामीण श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ है। मातृत्व लाभ से गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता मिली है जिससे उनकी पोषण स्थिति में सुधार हुआ है। आबादी के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों ने उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान किए हैं जिससे भेदभाव और शोषण की घटनाओं में कमी आई है।
- एनआईआरडीपीआर द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि मनरेगा के तहत व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण का ग्रामीण परिवारों की आय और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हालाँकि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रभावशीलता और दक्षता के बारे में चिंताएँ हैं और इन चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, मनरेगा पर कुल खर्च 2019–20 में 61,084 करोड़ 2020–21 में 1,11,500 करोड़, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। योजना के तहत रोजगार प्रदान करने वाले परिवारों की संख्या भी 2019–20 में 5.48 करोड़ से बढ़कर 2020–21 में 8.82 करोड़ हो गई जो महामारी के दौरान मनरेगा काम की उच्च मांग को दर्शाता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह योजना कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करती है। इससे महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने में सक्षम बनाने में मदद मिली है जिससे उन्हें आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्राप्त हुआ है और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाई है। यह योजना पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करती है जिससे वेतन भेदभाव की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है। यह योजना कृषि और वानिकी जैसी गतिविधियों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है जो परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान थे। इससे महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने में मदद मिली है।

साराशं– मनरेगा कार्यक्रम का भारत में ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिसमें महिलाओं पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रम ने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं मजदूरी में वृद्धि की है कृषि उत्पादकता में सुधार किया है और गरीबी में कमी आई है। मनरेगा ने ग्रामीण–शहरी प्रवासन, बाल श्रम को कम करने और स्कूल में उपस्थिति में सुधार दिखाया है। हालाँकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वेतन भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार और लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसे इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए संबोधित किया जाना चाहिए। इन मुद्दों के बावजूद भी मनरेगा भारत की ग्रामीण आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी योजना बनी हुई है और अगर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो इसमें उनके जीवन स्तर को और बढ़ाने की क्षमता है। यह योजना 100 दिनों के काम की गारंटी देती है और साथ ही प्रत्येक घर में प्रत्येक वयस्क के लिए न्यूनतम आय प्रदान करती है। यह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कुछ अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, संपत्ति के उत्पादन और प्रवासन मुद्दे के समाधान का भी समर्थन करता है। परिणामस्वरूप, मनरेगा केवल रोजगार विकास से कहीं अधिक के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण गरीब महिलाओं को समान भागीदारी के अवसर देने के अलावा कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाता है। मनरेगा बेरोजगारी कम करने के साथ–साथ ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देता है। उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण आबादी जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर निर्भर करती है उनमें से एक

मनरेगा है। ग्रामीणों के जीवन पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस पहल में भाग लेने वाले पुरुष और महिला दोनों के पास रोजगार के विकल्प उपलब्ध हैं। देश के युवाओं के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर सरकार की ओर से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मनरेगा कार्यक्रम एक गेम–चेंजिंग कानून है जो एक बेरोजगार लेकिन तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह के साधन प्रदान करता है साथ ही जरूरत के समय में रोजगार का एक व्यवहार्य स्रोत भी प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

1. अहंगर, जी.बी.(2014) मनरेगा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण– जिला अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर के ब्लॉक शाहाबाद का एक केस अध्ययन। नेशनल मंथली रेफरीड जर्नल ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 3. 55–62.
2. भारत की जनगणना(2017) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 14 जुलाई 2017 को देखा गया
3. इंडिया टुडे (2016) मनरेगा के कार्यान्वयन के 10 वर्ष पूरे महत्वपूर्ण तथ्य, शिक्षा, 14 जुलाई, 2017 को देखा गया
4. कोंच, यू.(2013) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन इनोवेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2(8), 48–57
5. कुमार, एस.(2014) ग्रामीण रोजगार में मनरेगा की भूमिका– एक समीक्षा। ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिव्यू। 2(1), 18–22.
6. संतोष कुमार एच.(2014), ''रोल ऑफ मनरेगा इन रूरल इम्पलायमेन्ट : ए रिव्यू'' ई. पी. आर. ए इन्टरनेशनल जरनल ऑफ इकॉनोमिक एण्ड बिजनस रिव्यू, वाल्यूम–2, इश्यू–1, पृष्ठ संख्या – 18–22
7. तिवाड़ी, रघुनाथ (2011), महात्मा गांधी नरेगा, ऋचा प्रकाशन, जयपुर
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय (2005) परिचालन दिशानिर्देश राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।